(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 51(क) में व्यवस्था है कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि सभी सजीव जीवों के प्रति दया दिखाई जाए और प्राकृतिक सम्पत्ति जैसेकि वन, नदियां, झीलों और वन्य जीवों आदि की सुरक्षा की जाए। सरकार ने जीवजन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 अधिनियमित किया है और भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। सरकार का यह विचार है कि जीवजन्तु अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कर देना ही तब तक प्रभावी उपाय नहीं है जब तक कि उसे जन-जागरूकता से सुदृढ़ नहीं कर दिया जाता। राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों द्वारा जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बच्चों में पशुओं के प्रति दया का महत्व बताने के लिए मिलजुलकर प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार जीवजन्तुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन कार्यों को जारी रखेगी और हर संभव कार्य करेगी।

Environmental Clearance for ONG Irrigation Project

2156. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether forest clearance has been accorded to ONG Irrigation Project in Orissa; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Government of Orissa submitted a proposal in May, 1988 for diversion of 237.90 ha, of forest land for construction of ONG Dam Irrigation Project in Sambalpur district. The proposal was examined in the Ministry and site inspection was carried out.

The Government of Orissa was thereafter requested to furnish additional information vide this Ministry's letter dated 2.12.88. As per record of this Ministry, no reply has been received till date form the Government of Orissa.

तीर्थस्थलों में प्रदूषण होने के संबंध में शिकायतें

2157. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में उन प्रमुख तीर्थस्थलों के नाम क्या है जहां प्रदूषण होने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों को प्रदूषण की रोकथाम करने हेतु अनुदेश जारी किये हैं और यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में तीर्थस्थलों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) पुरी, वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे कुछ प्रमुख तीर्थस्थलों में प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश तीर्थस्थल नदियों के किनारे स्थित हैं। सरकार ने इन नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। संबंधित राज्य सरकारों ने भी इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण उपाय शुरू किए हैं।

(ग) इन तीर्थस्थलों में शोर प्रदूषण के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

Increase in Environmental Degradation

2158. SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the environmental degradaton is increasing rapidly;

(b) if so, the details thereof with factors responsible for it;

(c) whether coal ash emitted by Power Plants is a major factor for such environmental degradation;

(d) whether Government propose to take some measures to check such degradation; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Rapid growth in industrial and other developmental activities and substantial increase in population levels are contributing to environmental degredation in the country.

(c) The fly ash generated by thermal power plants has also contributed to the environmental pollution.

(d) and (e) Yes, Sir. Various steps have been initiated by the Government to control pollution which inter alia includs:—

Mandatory impact assessment for 29 categories of developmental projects.

Stipulation of norms for air and water pollution control.

Action plan for critically polluted areas.

Adoption of cleaner technologies and schemes for setting up waste minimisation circles.

वनों में आग लगने से हुआ नुकसान

2159. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वनों में आग लगने से अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है; और

(ख) इस प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) सूचना राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) "आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को आधुनिक हाथ के औजारों, अग्नि-रोधी कपड़ों की खरीद, फायर फाइटरों, फायर टैंडरों, वाच टावरों के निर्माण, अग्नि रेखाओं के सृजन, प्रशिक्षण और प्रदर्शन, अनुसंधान एवं प्रचार के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है ताकि राज्य दावानल के निवारण, उसका पता लगाने और उसे बुझाने के समर्थ हो सकें।

Central and Uttar Pradesh Boards for Wildlife

2160. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) when the present central and U.P. State Boards for Wildlife were appointed with terms of office of these Boards;

(b) the names and places of their offices presently situated;

(c) the total number of wildlife protected areas in the country with details of areas declared for wildlife conservation in Uttar Pradesh; and

(d) the efforts being made by these Boards for wildlife conservation?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) The Indian Board for Wildlife was reconstituted in December, 1996 for a period of four years, while the State Wildlife Advisory Board of Uttar Pradesh was constituted in October, 1996 for a period of one year.

(b) The Ministry of Environment and Forests at New Delhi is responsible for the Indian Board for Wildlife, while the Uttar Pradesh Forest Department at Lucknow is responsible for the State Wildlife Advisory Board of Uttar Pradesh.

(c) There are 83 National Parks and 447 Sanctuaries in the Country, including 7 National Parks and 29 Sanctuaries in Uttar Pradesh. The area covered by National Parks and Sanctuaries in Uttar Pradesh is 12,188.50 sq. km.

(d) The Indian Board for Wildlife and the State Wildlife Advisory Boards advise the Central and State Governments on ways and means of promoting wildlife conservation, through setting up of protected areas, control of poaching, generation of public awareness etc, and carry out such other functions which the Boards may consider necessary, advisable or conducive to the preservation and conservation of wilflife.